

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT, 5 SHAM NATH MARG, DELHI

No. F.1(136)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2011/

Dated.....2011

NOTIFICATION

No. F.1(136)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2011: In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 1 of the Court-Fees (Delhi Amendment) Act, 2010 (Delhi Act 01 of 2011), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, orders that this Act shall come into force from the date of publication of this notification in Delhi Gazette.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Dharmendra)
Secretary (Revenue)

No. F.1(136)/Regn.Br./HQ/Div.Com./11/

14243

Dated - 7 JUL 2011

Copy to:-

1. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary).
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi
4. The Pr. Secretary to L.G., Delhi.
5. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
6. The Secretary to Revenue Minister, GNCT of Delhi.
7. OSD to Chief Secretary, Delhi
8. The Lt. Secretary(Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi
9. All Dy. Commissioners(Revenue), ADMs, SDMs, Sub-Registrars/DIOs
10. State Informatics Officer, NIC, Delhi Secretariat, Delhi
11. PS to Divisional Commissioner, Delhi
12. System Analyst, Revenue Department, GNCT of Delhi with the request to upload the same on the web site of Revenue Department.
13. Guard file.


(Dharmendra)
Secretary (Revenue)

(दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
राजस्व विभाग
5—शाम नाथ मार्ग, दिल्ली —54

सं.फा. 1(136)/पंजी० शाखा/मुख्या०/मंडली०आयु०/11/

दिनांक: —

अधिसूचना

सं.फा. 1(136)/पंजी० शाखा/मुख्या०/मंडली०आयु०/11/: — दी कोर्ट फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का दिल्ली अधिनियम 01) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल नियत करते हैं कि यह अधिनियम दिल्ली राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(धर्मन्द्र)
सचिव (राजस्व)

सं.फा. 1(136)/पंजी० शाखा/मुख्या०/मंडली०आयु०/11/ १५२४३

दिनांक: —
[— 7 JUL 2011]

प्रतिलिपी निम्न को अग्रसारित :—

- 1 सचिव (सा०प्र०वि०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 2 सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- 3 सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
- 4 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली ।
- 5 प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली ।
- 6 सचिव, राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली ।
- 7 ओ.एस.डी., मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली ।
- 8 संयुक्त सचिव, (विधी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली ।
- 9 समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए०डी०एम / ए०डी०एम०, उप—पंजीयक / डीआईओ ।
- 10 राज्य इन्फोर्मेटिक्स अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
- 11 निजी सचिव, मंडलीय आयुक्त, दिल्ली ।
- 12 सिस्टम विश्लेषक, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि इसे राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डालिए ।
- 13 गार्ड फाइल ।

(धर्मन्द्र)
सचिव (राजस्व)